न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 121/2022 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले.वजीरपुर निवासी ग्राम व पोस्ट वजीरपुर

GCMS No-2022/300

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. कार्यालय जिला परिषद सवाईमाधोपुर के पत्रांक /जिप/जॉच/2022/220–25 दिनांक 4.5.2022 उपजिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर आपके द्वारा जॉच की गयी उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./2022/932 दिनांक 10.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.8.2022 मे चाही गयी सूचना (जिला परिषद सवाईमाधोपुर के पत्रांक/जिप/जॉच/2022/220–25 दिनांक 4.5.2022 की जॉच रिपोर्ट) तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (जिला परिषद सवाईमाधोपुर के पत्रांक/जिप/जॉच/2022/220–25 दिनांक 4.5.2022 की जॉच रिपोर्ट) तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त नही हुई है उक्त जॉच रिपोर्ट भिजवाने हेतु उप जिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा जरिये स्मरण पत्र क्रमांक 401 दिनांक 25.5.2022 एवं 728 दिनांक 7.10.2022 से तहसीलदार वजीरपुर को लिखा गया है। अतः तहसील[illegible] जॉच करवायी जाकर जॉच रिपोर्ट जिला परिषद को भिजवाते हुए एक प्रति अपीलान्ट को भी निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर